कार्रवाई की मांग राज्यपाल को अंजू पाथरे ने भेजा प्रार्थना पत्र, न्यायालयीन पद पर फर्जी जाति से चयन का लगाया आरोप

एसटी कोटे में ओबीसी अभ्यर्थी के चयन मामले में अब राज्यपाल से शिकायत

नईदुनिया न्यूज, बालोद : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जनजाति वर्ग का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चयनित हुए कोरिया जिले के बैकुंठपुर निवासी अभ्यर्थी अत्नु प्रसाद के विरुद्ध अंजू पाथरे ने जांच एवं कार्रवाई के लिए राज्यपाल को प्रार्थना पत्र लिखा है। इसके पूर्व अंजू पाथरे ने लोक सेवा आयोग में भी शिकायत की थी। पत्र के माध्यम से अंजू पाथरे ने राज्यपाल को अवगत कराया है कि छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2023 के तहत घोषित अंतिम चयन सूची (पत्र क्रमांक 156/08/चयन/2024, 11 दिसम्बर 2024) में अत्नु प्रसाद, रोल नंबर 2308101155 का चयन अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग अंतर्गत किया गया है। जबकि तथ्यों एवं अभिलेखीय प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि अत्नु प्रसाद एसटी वर्ग में नहीं आती बल्कि केंवट जाति की है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अंतर्गत सम्मिलित है। अतः उक्त अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के समक्ष फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है।

निष्क्रियता के कारण फर्जी कैंडिडेट को मिल रहा आरक्षण का लाभः शिकायतकर्ता अंजू पाथरे ने राज्यपाल को भेजे गए प्रार्थना पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में अत्नु प्रसाद की चयन सूची, नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर द्वारा जारी वंशवृक्ष, जिसमें अत्नु प्रसाद के पिता रमाशंकर के पूर्वज मोहर साय की छायाप्रति, एसडीएम बैकुंठपुर का आदेश 27 फरवरी 2023 जिसमें रमाशंकर के चाचा हरिनंदन द्वारा एसटी वर्ग में नामांतरण का प्रयास किया गया था, परंतु स्पष्ट रूप से जाति केंवट ही प्रमाणित की गई है, उसकी छायाप्रति और कलेक्टर एवं एसडीओ बैकुंठपुर द्वारा हरिनंदन का जाति परिवर्तन अस्वीकार करते हुए केवट ही मान्य किया गया। अंजू पाथरे ने आगे बताया कि राजस्व अभिलेख (खसरा व बी-1) जिसमें रमाशंकर एवं उनके परिजनों की जाति केवट अंकित है। वहीं मेरी अनुपूरक सूची की प्रति जिसमें मैं अंजू पाथरे, रोल नंबर 2308107375 (एसटी) महिला वर्ग अंतर्गत सम्मिलित हूं और यदि उपरोक्त चयन सुनिश्चित होगा, इस विषय की सूचना पूर्व में छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग रायपुर, विधि विधायी विभाग महानदी भवन नवा रायपुर, आदिम जाति कल्याण विभाग रायपुर एवं जिला छानबीन समिति बैकुंठपुर कोरिया को दिया गया था। अंजू पाथरे ने पत्र के माध्यम से राज्यपाल को अवगत कराते हुए बताया कि शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

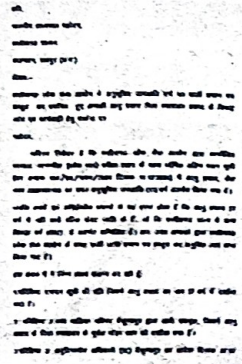

अंजू पाथरे ने राज्यपाल से की लिखित शिकायत।

सिविल जज परीक्षा की चयन सूची में ओबीसी अभ्यर्थी को एसटी आरक्षण

27 मार्च 2025 को प्रकाशित खबर।

अपराध पंजीबद्ध कर कठोर कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता बालोद जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम चिल्हाटीखुर्द का निवासी है। शिकायतकर्ता खेमलाल पाथरे के अनुसार उनके छोटे भाई हीरावत राम पाथरे जो कि दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाने में एएसआइ है, उसकी पुत्री अंजु पाथरे (रोल नंबर- 2308107375) वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व्यवहार न्यायाधीश की लिखित परीक्षा दी थी। साक्षात्कार में प्राप्त मेरिट क्रम के आधार पर वर्गवार चयन सूची जारी की गई। सूची के अध्ययन पर पाया गया कि सरल क्रमांक 33 के अभ्यर्थी अत्नु प्रसाद (रोल नंबर 2308101155) का नाम एसटी वर्ग चयन सूची में अंकित है। जबकि अत्नु प्रसाद की जाति केवट है, जो ओबीसी वर्ग का है। शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।